कार्यालय–कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं.– 20,मण्डलेश्वर, जिला–खरगोन (म.प्र.)
Email – eenvda20mdl@gmail.com दूरभाष क्रमांक– 07283–233440

पत्र क्रमांक 1400 / कार्य / 163 / 2021 मण्डलेश्वर, दिनांक 16.04.2021

प्रति,

श्रीमान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल
मध्य प्रदेश।

विषय :– जिला खण्डवा एवं देवास के अन्तर्गत आई.पी.एस. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस–2 के निर्माण हेतु 171.326 हेक्टेयर वन भूमि (वनमण्डल खण्डवा की 56.912 हेक्टेयर एवं वनमण्डल देवास की 114.414 हेक्टेयर) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक / एफ–3 / 102 / 2021 / 10–11 / 16 / 1377 दिनांक 15.04.2021

––0––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से आई.पी.एस. कालीसिंध लिंक प्रोजेक्ट फेस–2 के निर्माण हेतु 171.326 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु वन प्रस्ताव क्रमांक (FP/MP/IRRIG/139995/2021) में निम्नानुसार कमियों / त्रुटियों का निराकरण कर सम्प्रेषित है:–

क्र.	पाई गई कमियां / त्रुटियों का विवरण	निराकरण की स्थिति
1	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक B-2.3 में Village wise breakup में प्रभावित गैर वन भूमि 15.583 हेक्टेयर भूमि का ही विवरण दिया गया है, जबकि प्रस्ताव में प्रभावित हो रही गैर वन भूमि का रकबा 40 हेक्टेयर बतलाया गया है। अतः गैर वन भूमि का Villagewise breakup सही वेब पोर्टल पर अपलोड किया जावे।	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक B-2.3 में Village wise breakup में प्रभावित गैर वन भूमि के रकबे में सुधार कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(b) में अपलोड की गई वनमण्डल, खण्डवा के चारों पैचेस की KML file एक दूसरे पर overlap हो रही है। अतः सही KML file तैयार कर अपलोड की जावे।	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(b) में चारो पैचेस सही कर दिये गये हैं।
3	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(b) में अपलोड की गई वनमण्डल देवास के पैचेस क्रमांक 7 में अपलोड की गई 7.19 हेक्टैयर की KML file प्रदर्शित नहीं हो रही है। अतः उक्त बिन्दु में सही KML file तैयार कर अपलोड की जावे।	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(ii)(b) में अपलोड की गई वनमण्डल देवास के पैचेस क्रमांक 7 में अपलोड की गई 7.19 हेक्टैयर की KML file में सुधार कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक G(i) में अपलोड कास्ट बेनिफिट एनालिसिस के पत्रक सही नहीं है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.08.2017 के निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में योजना का कास्ट बेनिफिट एनालिसिस तैयार कर अपलोड किया जावे।	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक G(i) में अपलोड कास्ट बेनिफिट एनालिसिस पत्रक भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 01.08.2017 के निर्देश अनुसार सुधार कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

5	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक L(iv)(F) में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि का संबंधित जिला कलेक्टर का हस्तांतरण आदेश अपलोड नहीं किया गया है। अतः जिला कलेक्टर से हस्तांतरण प्राप्त कर उसकी प्रति अपलोड की जावे।	प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक L(iv)(F) में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि का संबंधित जिला कलेक्टर का हस्तांतरण आदेश प्रक्रियाधीन है। प्राप्त होते ही प्रस्तुत/अपलोड कर दिया जावेगा।

उपरोक्तानुसार ऑनलाईनप्रस्ताव मे सुधार कर दिया गया है। कृपया प्रस्ताव का अनुमोदन करने का कष्ट करें।

सहपत्र :– उपरोक्तनुसार

(टी.आर. पचौर) 16.4.2021
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–20
मण्डलेश्वर,जिला–खरगोन

Scanned by CamScanner